सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 81/2016 दायर दिनाँक 30.05.2016

वादी		प्रतिवादी
1. भँवरीदेवी पत्नी मरहूम ताज मोहम्मद, जाति—मिरासी (ढाढी) मुसलमान, उम्र—60साल, निवासी—मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भँवरीदेवी पत्नी हमीदखाँ, जाति—भाट (मुसलमान), उम्र—65साल, निवासी—बावड़ी, मौलासर, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा— 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्रीमती सन्तोष जाजू, वकील, वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 05.03.2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी के पति मरहूम ताजमोहम्मद व जीवण पुत्र कलिया की खातेदारी का खेत शरहद मौलासर में खसरा नम्बर 371 रकबा 21.09 बीघा अवस्थित है जिसमें वादी के पति का 1/3 हिस्सा है जिस पर वादी के पति का कब्जाकाश्त व उपयोग—उपभोग रहा है। दिनाँक 22.01.2014 को वादी के पति की मृत्यु हो चुकी है जिसके पश्चात् उक्त भूमि पर वादी का कब्जाकाश्त है। नजरी नक्शा वाद का हिस्सा है।

उपर्युक्त खसरा नम्बर 371 वादी की खातेदारी के खेत में प्रतिवादी का कोई भी लेना—देना नहीं है तथा न ही प्रतिवादी उक्त नजरीनक्शा में लाल रंग से दर्शित आसे—पासे की खातेदार है।

विनाय दावा दिनाँक 16.05.2016 को पैदा हुआ है। वादी के मरहूम पति की खातेदारी के खेत पर, प्रतिवादी नाजायज कब्जा कर अवैध निर्माण करने पर उतारू है इसलिए प्रतिवादी को अवैध निर्माण कार्य रोकने के लिए चर व्यादेश का दावा पेश है।

प्रार्थना वादी है कि—

चिर व्यादेश की डिक्री इस आशय की पारित की जावे कि वादी के पति ताज मोहम्मद की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 371 रकबा 21.09 बीघा शरहद मौलासर स्थित है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है, पर प्रतिवादी किसी तरह का अवैध कब्जा नहीं करे तथा न ही नजरी नक्शा में वर्णित लाल रंग से दर्शित अवैध निर्माण कार्य करवाए न ही स्वयं या किसी अन्य से कोई ऐसा कार्य करवाए जिससे वादी के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़े।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 81/2016
दायर दिनाँक 12.02.2018, निर्णय दिनाँक 05.03.2018
भँवरीदेवी बनाम् भँवरीदेवी।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

साक्ष्य वादी में शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश हुआ। वादी ने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, नजरीनक्शा पेश किया।

दस्तावेजी साक्ष वादी में प्रदर्श–01 जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071, प्रदर्श–02 नक्शा ट्रेश, प्रदर्श–03 मृत्यु प्रमाण–पत्र पेश है।

बहस विद्वान वकील सुनी गयी। विद्वान वकील की बहस मुख्यतः वाद पर आधारित रही। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा, प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि शरहद मौलासर में खसरा नम्बर 371 रकबा 21.09 बीघा में से वादी के हक हिस्से रकबा 1/3 भाग में किसी प्रकार दखल अन्दाजी न करे। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **05.03.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 81/2016 दायर दिनाँक 30.05.2016

वादी		प्रतिवादी
1. भँवरीदेवी पत्नी मरहूम ताज मोहम्मद, जाति–मिरासी (ढाढी) मुसलमान, उम्र–60साल, निवासी–मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भँवरीदेवी पत्नी हमीदखाँ, जाति–भाट (मुसलमान), उम्र–65साल, निवासी–बावड़ी, मौलासर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा– 188, R.T.Act.

दिनाँक 05.03.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्रीमती सन्तोष जाजू, वकील, वादी ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा, प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि शरहद मौलासर में खसरा नम्बर 371 रकबा 21.09 बीघा में से वादी के हक हिस्से रकबा 1/3 भाग में किसी प्रकार दखल अन्दाजी न करे।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत................. ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–.......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 05.03.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–		महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner